न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2/3/2023 दायर दिनांकः— 10/01/2023

ज़ीसीएमएस नं0:— 2023/0006 निर्णय दिनांकः— 19/12/2024

बउनवान

1. रूपराम पुत्र धर्म सिंह जाति गुर्जर निवासी दुघाटी (कांसगंज)
2. हरिसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति गुर्जर निवासी दुघाटी(कांसगंज)

तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायलान

बनाम

1. धीरज पुत्र टुण्डाराम जाति गुर्जर निवासी दुघाटी (कांसगंज)
2. भोलाराम पुत्र टुण्डराम जाति गुर्ज़र निवासी दुघाटी (कांसगंज)
3. जोगेन्द्र पुत्र लखनसिंह जाति गुर्जर निवासी दुघाटी (कांसगंज)
4. रामराज पुत्र लखनसिंह जाति गुर्जर निवासी दुघाटी (कांसगंज)
5. विरेन्द्र पुत्र लखनसिंह जाति गुर्जर निवासी दुघाटी (कांसगंज)

तहसील कठूमर जिला अलवर

——— गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः—1. रामजीलाल शर्मा— अधिवक्ता प्रार्थीगण

—:आदेशः—

सायलन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 95 वाके ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी सायल के 1/2 हिस्से व साक्षीदार अमरसिंह व हुकमसिंह के 1/2 हिस्सा की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है विवादीत आराजी पर सायलान आने हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है गैरसायलान का विवादीत

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आराजी से किसी तरह का सम्बध व सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा है ग्रसायलान जबर्दस्त मूँह जोर व लटठ बाज व्यक्ति है सायालान के हिस्सा पर जबरन कब्जा करने की धमकी देते है उक्त आराजी पर विना किंसी अधिकारी के कच्चा पक्का निर्माण करने की धमकी देते है गैरसायलाने ने सायलान को खुले आम धमकी दी कि हम तुझे विवादीत आराजी में तेरे हिस्सा की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नही करने देंगे जबकी गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव वर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलानने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल हाजिर अदालत होकर जवाब पेश करने को समय चाहा गया लेकिन कई मौके दिये जाने वाबजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनका जवाब बन्द कर दिया गया एवं दिनांक 19.12.2024 को हाजिर अदालत नही होने पर उनके खिलाफ एकपक्षिय कार्यवाही अमल लाई गई।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 व नक्शा ट्रैस एवं खसरा गिरदावरी संबत् 2078 वाके ग्राम दुघाटी छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

. हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता सायल की एकपक्षिय बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता सायल ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सायलान एंव गैरसायलान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी सायल के 1/2 हिस्से व साक्षीदार अमरसिंह व हुकमसिंह के 1/2 हिस्सा की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है विवादीत आराजी पर सायलान आने हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है गैरसायलान का विवादीत आराजी से किसी तरह का सम्बध व सरोकार नहीं है और ना ही कभी रहा है गैरसायलान को पाबन्द किया जावे। गैरसायलान बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से विवादित आराजी खसरा नम्बर 95 रकवा 0.91 हे. वाके ग्राम दुघाटी पर सायल का कब्जा प्रतीत होता है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायलान सायल को उक्त आराजी से वेदखल कर सकते है। गैरसायलान को पाबन्द किये जाने से उन्हें किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा होती हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायल के पक्ष में बखुवी सावित है। अतः प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सायल स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 95 कवा 0.91 हैक्ट0 वाके ग्राम दुघाटी तहसील कठूमर में सायल के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करें। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 10.01.2023 मूल वाद के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो वाद तकमील वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.